कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला कटनी (म0प्र0)

क्रमांक / 189 / ल0सि0सं0 / भू0अभि0 / 2017 कटनी, दिनांक 05/07/2017

निविदा सूचना

म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र0 एफ 7–1 / 2017 / सात / एक भोपाल दिनांक 22 / 06 / 2017 में जारी किये गये निर्देशानुसार जिले में सभी किसानों को वर्ष में एक बार कम्प्यूटरीकृत खसरे / खतौनी की नकल का निःशुल्क वितरण योजनांतर्गत दिनांक 15 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2017 तक किया जाना है। उक्त कार्य हेतु कटनी जिले की स्थानीय निजी संस्थाओं / एजेन्सियों से निविदायें (टेण्डर) आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्थानीय निजी संस्थायें / एजेन्सियाँ दिनांक 10.07.2017 तक अपनी निविदा बंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला कटनी को प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निविदायें डाक से भी भेजी जा सकती हैं। नियत तिथि उपरांत प्राप्त निविदाओं में कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 11.07.2017 समय 04:00 बजे अपरान्ह को खोली जावेंगी। निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. निजी संस्था / एजेन्सी को जिले के तहसील मुख्यालय में तहसीलदार के नियंत्रण में N.I.C. सॉफ्टवेयर से कम्प्यूटरीकृत खसरा / बी–1 की प्रतियाँ तैयार कर तहसीलदार से प्रमाणित कराने उपरांत हल्का पटवारी को वितरण हेतु सौपेगी।
2. सभी कृषकों की कम्प्यूटरीकृत खसरा / बी–1 की प्रतियाँ 01.09.2017 तक अनिवार्यता तैयार कर संबंधित तहसीलदार को सौपने होगी।
3. संस्था को अपने कम्प्यूटर प्रिंटर इनवर्टर एवं A4 साईज पेपर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. बिजली की अनवरत उपलब्धता हेतु इनवर्टर एवं यू.पी.एस. एजेन्सी के पास होना अनिवार्य है।
5. निजी संस्था एजेन्सी को कार्य समाप्ति उपरांत तहसीलदार के प्रमाण–पत्र के आधार उसके देयक की राशि का भुगतान किया जावेगा।

अपर कलेक्टर
जिला–कटनी

पृ0क्रमांक / / भू–अभि0 / 2017 कटनी, दिनांक / / 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल ।
2. आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी को भेजकर लेख है कि स्थानीय समाचारों पत्रों में सूचना प्रकाशित करायें।

अपर कलेक्टर
जिला–कटनी

SLR MR KOL_P